

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2111 / 2023

दिनांक : 15.07.2023

श्रीमती रेखा चौधरी-II (RJ01096), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) को दिनांक 24.07.2023 से 28.07.2023 तक 05 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 22.07.2023 से 23.07.2023 एवं 29.07.2023 से 30.07.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी-II की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/84/2016/4597

दिनांक : 15.07.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 4624 दिनांक 06.07.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेखा चौधरी-II (RJ01096), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम (करौली)।

15.7.2023
सहायक रजिस्ट्रार